प्रकरण संख्या 5/2019 नाना बनाम गोपाला

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.03.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य एवं कब्जे की आराजी नंबर 870, 896, 899, 900, 903, 1651/899 कुल किता 6 रकबा 1.0700 हैक्टर भूमि ग्राम भारोडी में स्थित है, जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा निहित होकर इसी अनुसार काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं होने से प्रतिवादीगण वादी के हिस्से में हस्तक्षेप करते हैं। अतः वाद वर्णित आराजियात का पक्षकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर उसके साथ प्रतिवादा भी प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि आराजी नंबर 870 रकबा 0.0950 हैक्टर में वादी के हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण हिस्से में से 1/4 हिस्से की लिखापढ़ी प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के पक्ष में संवत् 2042 भदवा शुद्ध तीज को गांव के मेघवाल समाज पंचों के समक्ष कर दी गयी थी तक से उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण काबिज हैं। अतः आराजी नंबर 870 रकबा 0.0950 हैक्टर में से वादी के 1/2 हिस्से में से 1/2 हिस्सा अर्थात वादी का 1/4 हिस्सा तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का घोषित किया जावे तथा शेष आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 03.06.2016 से वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 21.01.2019 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी उनके अधिवक्ता द्वारा उन्हें नहीं दी गयी। अपीलान्ट अनपढ़ एवं ग्रामीण परिवेश के काश्तकार होने से उन्हें कानून की जानकारी नहीं है। अधिवक्ता की गलती की सजा पक्षकार को नहीं दी जा सकती। अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 31.12.2018 को होने पर [illegible] अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को कण्डोन फरमाया जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। Signature Not Verified Digitally signed by M. L Chouhan Date: 2021.07.08 12:32:04 IST Reason: SelfAttested उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि विभाजन के समय स्वय प्रार्थी उपस्थित थे, जिससे उन्हें विभाजन की जानकारी थी।	

प्रकरण संख्या 5/2019 नाना बनाम गोपाला

अपीलान्ट ने मिथ्या कथनों के आधार पर उक्त अपील लम्बे समय के बाद प्रस्तुत की गयी है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। वकील अपीलान्ट के कथनानुसार अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश के अनपढ़ काश्तकार होने से उन्हें कानून की बारीकियों व पेचिदगियों की जानकारी नहीं होती है। वकील अपीलान्ट का उक्त कथन उचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में देरी को कण्डोन फरमाया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण लोक अदालत में रखकर निर्णय पारित कर दिया, जिसकी कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गयी। अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया गया था, किन्तु तहसीलदार द्वारा नियमों की पालना नहीं की गयी है, जिससे मौके पर पक्षकारों के मध्य ज्यादा विवाद बढ़ गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण में पेशी दिनांक 14.07.2016 को नियत थी, किन्तु इसके स्थान पर नियत पेशी दिनांक से पूर्व ही दिनांक 03.06.2016 को प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया, जिसकी किसी प्रकार की जानकारी अपीलान्ट को दी जाना प्रकट नहीं होता है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं उनकी साक्ष्य लेकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.05.2021 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.07.08 12:32:04 IST
Reason: SelfAttested

(म.एल. चौहान)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर